न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०प्रथम/सुलतानपुर

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1784/2026

उपस्थितिः- श्री विजय कुमार गुप्ता II

(U.P. J.O.code no-1802)

UPST010054302026

1- श्रेयांश मिश्रा उर्फ आयुष मिश्रा आयु लगभग 23 वर्ष सुत संदीप मिश्रा निवासी ग्राम भेला, थाना सरपतहां, जिला जौनपुर।

-आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य -विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या-78/2026,
अन्तर्गत धारा-64(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना-करौंदीकला, जिला-सुलतानपुर।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त श्रेयांश मिश्रा उर्फ आयुष मिश्रा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-78/2026, अन्तर्गत धारा-64(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना करौंदीकला, जिला-सुलतानपुर में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा सम्बन्धित थाना पुलिस की आख्या सहित केस डायरी का परिशीलन किया गया। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में श्रेयांश मिश्रा उर्फ आयुष मिश्रा स्वयं द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि, प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में फर्जी एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर रंजिशन फंसाया गया है जबकि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पीडिता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने की प्रथमतः कोई भी तिथि स्पष्ट नहीं है और दिनांक-22.05.2026 की जो तिथि लिखी भी गयी है, उसमें कोई भी समय अंकित नहीं है। जिससे पीड़िता का यह कथन कि प्रार्थी द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया गया है, अपने आप में ही सर्वथा संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होता है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कहानी अपने आप में ही झूठी एवं मनगढ़न्त प्रतीत होती है। पीड़िता द्वारा शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का जो दिनांक, दिनांक 22.05.2026 अंकित किया गया है, उस तिथि पर पीड़िता के अनुसार प्रार्थी द्वारा उसे लात, घूसों से बहुत बुरी प्रकार से मारना-पीटना एवं पीड़िता के सिर को दीवाल में लड़ा-लड़ाकर मारने की बात कही गयी है किन्तु तत्सन्दर्भ में पीड़िता द्वारा उक्त के सन्दर्भ में कोई भी मेडिकल न कराना

अपने आप में ही अभियोजन कहानी की सम्पूर्ण सत्यता को स्पष्ट कर देता है, जिससे यह बात अपने आप में ही प्रमाणित हो जाती है कि मुकदमा उपरोक्त मात्र प्रार्थी को फँसाने का एक कुत्सित प्रयास है। पीड़िता का यह कथन कि पीड़िता ने लोक-लाज को बचाने की डर से उक्त घटना की कहीं कोई शिकायत नहीं किया था अपने आप में ही फर्जी एवं मनगढ़न्त प्रतीत होती है, क्योंकि वर्तमान समय में इतने भयंकर अत्याचार के पश्चात भी किसी व्यक्ति की ऐसे व्यवहार की कल्पना करना भी संभव नहीं है। पीड़िता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रार्थी और उसका प्यार विगत कुछ वर्षों से निरन्तर चल रहा था किन्तु उसने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इस दौरान प्रार्थी द्वारा कहीं भी उससे शादी करने की बात की गयी हो अथवा उसे शादी का झाँसा दिया गया हो, जिससे यह स्पष्ट है कि यदि पीड़िता की उपरोक्त बातें सही मान भी ली जायं तो भी पीड़िता द्वारा प्रार्थी के साथ बनाया गया समस्त सम्बन्ध उसकी अपनी मर्जी से एवं पूर्ण वयस्क तथा स्वस्थ चित्त की दशा में बनाया गया है, जिसमें प्रार्थी द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। पीड़िता पूर्णतया वयस्क है और पीड़िता का यह कहना भी पूर्णतया गलत और भ्रामक है कि प्रार्थी द्वारा उसकी शादी तुड़वाने के लिए उसकी फोटो/वीडियो उसके मंगेतर को भेजी गई क्योंकि यदि वह सत्य है तो वो फोटो/वीडियो कहा है। वास्तविकता यह है कि पीड़िता के परिवार वाले वर्ष 2024 में प्रार्थी के घर शादी का रिश्ता लेकर आये थे और प्रार्थी एवं पीड़िता की शादी लगभग तय भी हो चुकी थी जिसके पश्चात से प्रार्थी एवं पीड़िता के बीच आपस में बातचीत भी हुआ करती थी किन्तु बाद में स्वयं पीड़िता के ही घर वालों द्वारा प्रार्थी एवं पीड़िता की कुण्डली पण्डित को दिखाई गयी, जिसमें पीड़िता घोर मांगलिक निकली तथा नाड़ी दोष भी निकला, जिस कारण से प्रार्थी के घर वालों ने हम दोनों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शादी से इन्कार किया लेकिन पीड़िता फिर भी जबरदस्ती प्रार्थी के साथ शादी करना चाहती है और इसी के परिणामस्वरूप ही पीड़िता द्वारा मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी एवं पीड़िता वर्ष 2024 में ही पहली बार एक-दूसरे से बातचीत किये, इसके पूर्व न प्रार्थी कभी पीड़िता से मिला था और न ही कभी उससे बातचीत किया था, जिस कारण से पीड़िता का यह कथन कि वह प्रार्थी को 5-6 वर्षों से जानती है अपने आप में ही पूर्णतया असत्य एवं मनगढ़न्त है। प्रार्थी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है, मात्र उपरोक्त कारणों से ही प्रार्थी उक्त मुकदमे में फंसाया जा रहा है। यदि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गयी तो निश्चित तौर पर प्रार्थी की अत्यधिक सामाजिक एवं आर्थिक अपहानि के साथ-साथ मानसिक क्षति भी होगी जिसकी किसी भी दशा में क्षतिपूर्ति संभव नहीं होगी। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा-482 बी०एन०एस०एस० के प्राविधानों से किसी भी प्रकार से बाधित नहीं है और अग्रिम जमानत की दशा में प्रार्थी अपनी अपनी अग्रिम जमानत की शर्तों का यथावत पालन करेगा और माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश/निर्देश का अक्षरशः अनुसरण करेगा। प्रार्थी

द्वारा उक्त अपराध संख्या में वर्णित अपराध से सम्बन्धित कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है प्रार्थी धारा-482 बी०एन०एस०एस० में उल्लिखित शर्तों को मानने एवं ऐसी अन्य शर्तों को भी जिन्हें माननीय न्यायालय प्रार्थी के ऊपर अधिरोपित करेगी, मानने को तैयार है और उसका पालन करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है। प्रार्थी/अभियुक्त दौरान अग्रिम जमानत अन्वेषण, जाँच व विचारण में हर प्रकार से सहयोग करेगा और माननीय न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा तलब किये जाने पर स्वयं के खर्चे पर उपस्थित रहेगा तथा मुकदमे से सम्बन्धित किसी भी साक्षी अथवा साक्ष्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय। प्रार्थी ऐसी शर्तों से स्वयं को आबद्ध करेगा।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी की ओर से जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता व ए०डी०जी०सी० दाण्डिक को सुना तथा सम्बन्धित थाने की आख्या सहित केस डायरी का परिशीलन किया।

5. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार "प्रार्थिनी पुत्री जिलेदार पाण्डेय उम्र लगभग 22 वर्ष ग्राम बीबीपुर तिवारी थाना करौदीकला जनपद सुलतानपुर की रहने वाली है। प्रार्थिनी का परिचय 5-6 वर्ष पूर्व पढ़ाई के दौरान श्रेयांश मिश्रा उर्फ आयूष मिश्रा पुत्र सन्दीप मिश्रा ग्राम भेला थाना सरपतहा जनपद जौनपुर के साथ हुआ, उसी दौरान प्रार्थिनी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धोके से शारीरीक सम्बन्ध बनाया। जिसकी उसने मोबाइल फोन से वीडियो क्लिप व फोटो बना लिया बाद में वही विडियो आर फोटो वायरल कर देने की धमकी देते हुए प्रार्थिनी से जबरदस्ती कई बार बलात्कार किया बाद में प्रार्थिनी जब विपक्षी से शादी विवाह की बात करती है तो वह कहता है कि मैं न तो तुमसे शादी करूंगा और न ही किसी से तुमहारी शादी होने दूंगा। विपक्षी दो जगह प्रार्थिनी की तयशुदा शादी लड़के वालो को धमकी देकर तुड़वा चुका है। प्रार्थिनी का विवाह इस बार दुर्गेश सुत सुरेश निवासी जनपद जौनपुर से तय हुआ तो विपक्षी ने उसे भी बार बार शादी तोड़ने की धमकी दे रहा था और कह रहा था कि अगर तुम वर्षा से शादी करोगे तुम्हें जान से मार दूंगा। विपक्षी प्रार्थिनी से वीडियो क्लिप व फोटो डिलीट करने के लिए लिए 5 लाख रूपये की मांग कर रहा था। प्रार्थिनी डरवस छोटी छोटी रकम अदा करते हुए लगभग 1 लाख रूपये भी विपक्षी को दे चुकी है किन्तु वह लगातार प्रार्थिनी का आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण कर रहा है। प्रार्थिनी विपक्षी की डर से लखनऊ शहर जाकर प्राईवेट नौकरी करने लगी किन्तु विपक्षी वहां भी पता करके दिनांक-22/05/2026 को पहुंचा तथा प्रार्थिनी से शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। जब प्रार्थिनी ने मना किया और कहा कि मेरी शादी पड़ चुकी है तो उसने प्रार्थिनी को बुरी तरह से लात घूंसो से मारा और सिर को दीवाल से टकरा दिया शारीरिक सम्बन्ध

बनाया और फोटो खीचकर प्रार्थिनी के मंगेतर को भेज दिया। प्रार्थिनी किसी तरह जान बचाकर सुबह अपने घर आयी और घरवालों से आप बीती बताई। प्रार्थिनी के परिजन विपक्षी के पिता सन्दीप मिश्रा सुत स्व० शोभनाथ मिश्रा को सारी बात बताया तो विपक्षी के पिता सन्दीप ने कहा कि तुम्हारी लड़की रंडी, मादरचोद, बदचलन है। मेरा लड़का कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। तुम लोग अगर पुलिस को सूचना दोगे पूरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। जब विपक्षी श्रेयांश मिश्रा उर्फ आयूष को इस बात का पता चला कि प्रार्थिनी के घर वाले उसके पिता से इस बारे में बात किये हैं तो दिनांक-23/05/2026 को शाम लगभग 05.00 बजे 2-3 अज्ञात लोगों के साथ प्रार्थिनी के घर आया और पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दिया और बोला मेरे पिता पत्रकार हैं। तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। प्रार्थिनी लोक लाज व परिवार की प्रतिष्ठा को खराब होने के भय से सब कुछ सहन करती रही, आज दिनांक-24/05/2026 को थाना करौंदीकलां में सूचना दिया।"

6. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं:–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता;
2. आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है;
3. न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता; और
4. जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

7. पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा है कि, मेरी उम्र 22 वर्ष पुत्री जिलेदार पाण्डेय निवासी वीवीपुर तिवारी थाना करौंदीकला जिला सुलतानपुर की स्थायी निवासनी है। मैं 12 वीं तक पढ़ी हूँ। मैं वर्ष 2021 में 11 वीं में थी तब मेरी मुलाकात श्रेयांश मिश्रा उर्फ आयुष से हुई पुत्र संदीप मिश्रा निवासी भेला समोधपुर थाना सरपता जिला जौनपुर लगभग 5 साल से रिलेशनशिप में हैं और उसने शादी का झांसा देकर मेरे घर आकर शारीरिक संबंध बनाया और धोखे से फोटो और वीडियो बना लिया और फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर पर वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था फिर मैंने उसको शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने मना कर दिया और बोला कि न शादी करूंगा तुमसे और न ही किसी और से तुम्हारी शादी होने दूंगा और बोला कि या तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ या फिर मुझे 5 लाख रुपये दो और छोटी-छोटी रकमो में अभी तक 1 लाख रूपये दे चुकी हूँ। एक या दो जगह मेरी शादी तय हुई थी तो उसने वहां फोटो और वीडियो भेजकर तयशुदा शादी को तुड़वा दिया और बार बार मुझे टॉर्चर और ब्लैकमेल करता था कि मेरे साथ फिजिकल

रिलेशन बनाओ और इस बार मेरी शादी दुर्गेश पुत्र सुरेश कुमार निवासी जौनपुर से तय हुई थी और उसने उस लड़के को धमकी दी अगर वर्षा से शादी करोगे तो तुमको जान से मार दूंगा और मैं लखनऊ में प्राइवेट जॉब करती हूँ और प्राइवेट रूम लेकर रहती हूँ तो वह 22/5/2026 की रात मेरे कमरे पर आता है और मुझे धमकी देता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है और मेरे मना करने पर कि मेरी शादी तय हो गई है तो उसने मुझे लात घूसे से मारा और सर को दीवार में टकरा दिया और मेरे साथ जबरदस्ती की जिसका उसने फोटो और वीडियो बनाया और मेरा फोन भी ले लिया और मैं सुबह जान बचाकर घर आई हूँ और जिससे मेरी तीसरी बार शादी तय हुई उसको फोटो और वीडियो भेजकर मेरी शादी तुड़वा दी और जब मैंने सारी बाते घर आकर बताई तो मेरे घर वालो ने श्रेयांश के घर फोन किया तो उसके माँ बाप अपने बेटे की गलती न देते हुए मुझे अभद्र तरीके से गाली देने लगे और मुझे बेइज़्ज़त किया और शाम को दो तीन लोगों के साथ मेरे घर आया और गाली गलौज कि और धमकी दी कि तुम पुलिस के पास गई तो तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा और उसने बोला कि मेरे पिता पत्रकार है और तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यही मेरा बयान है।

8. इसी प्रकार पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा कि, मैं कक्षा 12 तक पढ़ी हूँ। मैंने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है। मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं कक्षा 11 में पढ़ती थी तब मेरी मुलाकात श्रेयांश मिश्रा उर्फ आयुष मिश्रा पुत्र संदीप मिश्रा निवासी भेला थाना सरपतहा जिला जौनपुर से हुई थी हम दोनों एक ही स्कूल में थे। स्कूल का नाम श्री गांधी स्मारक इंटर कलेज समोधपुर जौनपुर था। श्रेयांश उर्फ आयुष ने मेरे सामने प्रेम प्रस्ताव रखा और कहा की मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान हमारा शारीरिक संबंध बना मेरे घर पर ही। शारीरिक संबंध बनाते समय श्रेयांश उर्फ आयुष ने मेरा वीडियो बना लिया जो कि मुझे पता नहीं चला था। बाद में श्रेयांश बदलने लगा, मुझे बारबार शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करने लगा मुझे धमकी दिया कि मेरा वीडियो वायरल कर देगा। इसी धमकी के बल पर मेरे साथ अनगिनत बार संबंध बनाया मेरे घर पर आकर। मुझसे कहा कि या तो शारीरिक संबंध बनाओ या 5 लाख रूपये लाकर दो। फिर मैं डर कर थोड़ा-थोड़ा करके उसको पैसा देने लगी अब तक मैं लगभग 1 लाख रूपये दे चुकी होंगी। मेरी दो जगह शादी तय हुई। श्रेयांश उर्फ आयुष उसने मेरी वीडियो दिखाकर मेरी शादी तुड़वा दिया। बाद में इसके डर से लखनऊ में प्राइवेट लैब टेक्नीशियन की जब करने चली गई। मैं लखनऊ में गोमती नगर विराजखंड में जॉब करने लगी। श्रेयांश मुझे नये-नये नंबर से धमकी देता था। मेरे पापा के पास मेरा वीडियो भेजने की धमकी देता था। मेरी शादी पुनः दुर्गेश नाम के व्यक्ति के साथ तय हुई थी। श्रेयांश ने दुर्गेश को जान से मारने की धमकी देता था। दिनांक-22/05/2026 को रात मे मेरे कमरे पर आया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने कहा मेरी शादी तय हो गयी है तो मुझे

मारापीटा और मेरे साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाया और फोटो भी खींचा था और दुर्गेश के पास वो फोटो भेज दिया जिससे मेरी शादी टूट गई। फिर सुबह डरकर घर आई वापस और घर वालों को सारी बात बताई। तब मेरी मम्मी ने श्रेयांश के पिता के पास काल किया तो उन्होंने मेरे बारे में भला बुरा कहा। जब श्रेयांश को पता चला तो वो और उसके पिता और दो-तीन लोग और मेरे घर आए और गाली गलौज किया और श्रेयांश ने कहा की पुलिस के पास जाओगी तो वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जान से मारने की धमकी दी थी। कहा कि मेरे पिता पत्रकार हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती हो मेरा। बस यही बयान है मेरा।

11. सम्बन्धित थाने की आख्या अनुसार आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता कथित घटना को कारित किये जाने में पायी गयी है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं बयान अंतर्गत धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभियुक्त द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने, मार पीटकर स्वेच्छया उपहति कारित करने, घर वालों को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने का कथन किया गया है। इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर यह निष्कर्ष अवधारित नहीं किया जा सकता कि आवेदक/अभियुक्त को अपमानित करने या क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त आपराधिक वाद संस्थित किया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने, मार पीटकर स्वेच्छया उपहति कारित करने, घर वालों को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने का कथन किया गया है। का गंभीर अपराध कारित किया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त श्रेयांश मिश्रा उर्फ आयुष मिश्रा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-78/2026, अन्तर्गत धारा-64(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना-करौंदिकला जिला सुलतानपुर में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

sd/-

(विजय कुमार गुप्ता-II)
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०प्रथम
सुलतानपुर।
(U.P. J.O.code no-1802)

दिनांक-17.06.2026

Ganesh chandra pal
(steno)